

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ शुद्धि पत्र ॥

सं0सं0-03/SBM-20-03/15 1393 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक-03/6/19

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-09 दिनांक-22.05.2019 के कंडिका-2 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

उक्त स्वीकृत राशि 2654.00 लाख रू0 (छब्बीस करोड़ चौवन लाख रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे।

राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 पत्रांक-8699 दिनांक-29.11.2018 एवं पत्रांक-256 दिनांक-26.02.19 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में की जायेगी तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA), पटना के ICICI Bank, पाटलिपुत्रा शाखा, पटना के खाता संख्या-238101000675 (IFSC कोड-ICIC0002381) में अंतरित किया जाएगा। इस राशि को अविलम्ब नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जाएगा।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

ह0/-
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।


ज्ञापांक-03/SBM-20-03/15 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-03/SBM-20-03/15 1393 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक-03/6/19

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


31/5/2019
प्रधान सचिव।